



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 14-2026/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 22, 2026 (MAGHA 2, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 2026

संख्या 03/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/जीएसटी-2, दिनांक 17 सितंबर, 2025 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/जीएसटी-2, दिनांक 17 सितंबर, 2025 में, -

(क) अनुसूची II - 9% में, क्रम संख्या 4 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"4क.	2403 19 21, 2403 19 29	बीड़ियां;";
------	------------------------	-------------

(ख) अनुसूची III - 20%, में, क्रम संख्या 13 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-

"14.	2106 90 20	पान मसाला;
15.	2401	अविनिर्मित तंबाकू; तंबाकू अपशिष्ट [तंबाकू के पत्तों से भिन्न];
16.	2402	तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बनी सिगार, चेरुट, सिगारिलो और सिगरेट;
17.	2403(2403 19 21, 2403 19 29 के अलावा)	अन्य विनिर्मित तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू विकल्प;"समांगीकृत" या "पुनर्रचित" तंबाकू; तंबाकू सत्त और अर्क (बीड़ी से भिन्न);

18.	2404 11 00	तंबाकू या पुनर्रचित तंबाकू युक्त और दहन के बिना अंतःश्वसन के लिए आशयित उत्पाद;
19.	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन विकल्प युक्त और दहन के बिना अंतःश्वसन के लिए आशयित उत्पाद।”;

(ग) अनुसूची VII –14% और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

2. यह अधिसूचना प्रथम फरवरी, 2026 से लागू होगी।

आशिमा बराड़,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 22nd January, 2026

No. 03/GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/GST-2, dated the 17th September, 2025, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/GST-2, dated the 17th September, 2025, -

(a) in the Schedule II – 9%, after serial number 4 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“4A.	2403 19 21, 2403 19 29	Biris;”;
------	------------------------	----------

(b) In Schedule III – 20%, after serial number 13 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added, namely: -

“14.	2106 90 20	Pan masala;
15.	2401	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse [other than tobacco leaves];
16.	2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes;
17.	2403 (other than 24031921, 2403 19 29)	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; homogenised or reconstituted tobacco; tobacco extracts and essences[other than biris];
18.	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion;
19.	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion.”;

(c) in the Schedule VII – 14%, and entries thereagainst shall be omitted.

2. This notification shall come into force with 1st day of February, 2026.

ASHIMA BRAR,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.